न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री बाबूलाल गोयल।

अपील संख्या 23/2020 जिला–अलवर।

1. शिवचरण पुत्र शिम्भू जाति अहीर निवासी ऊजोली तहसील कोटकासिम जिला अलवर।
2. लीलाराम पुत्र शिम्भू जाति अहीर निवासी ऊजोली तहसील कोटकासिम जिला अलवर।
3. सतपाल पुत्र शिम्भू जाति अहीर निवासी ऊजोली तहसील कोटकासिम जिला अलवर।

अपीलान्टस्

बनाम

1. हरचन्द पुत्र कुशलाराम जाति अहीर निवासी ऊजोली तहसील कोटकासिम जिला अलवर।
2. शिशपाल पुत्र कुशलाराम जाति अहीर निवासी ऊजोली तहसील कोटकासिम जिला अलवर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर दिनांक 20.10.2016 अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 36/2016

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री विजय सिंह चौहान।
2. रेस्पोंडेंट संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक 06.09.2021

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर के निर्णय दिनांक 20.10.2016 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 02.09.2020 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 एवं 02 के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 443, 448, 471 की सीमाज्ञान दिनांक 23.06.2016 के मुताबिक पत्थरगढी कराई जाने की आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम जिला अलवर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.2016 पारित कर प्रकरण में आराजी खसरा नम्बर 443, 448, 471 की मौके पर पुनः सीमाज्ञान कराया जाकर पत्थरगढी कराये जाने हेतु तहसीलदार कोटकासिम को आदेश दिये गये ।
4. न्यायायल उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम जिला अलवर के उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टस् द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी एवं मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।
5. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । रेस्पोडेंट संख्या 01 एवं 02 के अधिवक्ता दौराने बहस उपस्थित नही हुये । अधिवक्ता अपीलांटस् एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।
6. अपीलान्टस् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलांटस् एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की आराजी खसरा नम्बर 471 व 472 आस–पास है ओर अपीलांटस् व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

अपनी आराजी पर काबिज व दाखिल है। उक्त खसरा नम्बरान से लगती हुई अपीलांटस् की आराजी खसरा नम्बर 492 भी स्थिति है। खसरा नम्बर 492 के उत्तर का हिस्सा अपीलांटस् के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है तथा दक्षिण तरफ का हिस्सा रेस्पोंडेंटस् संख्या 1 व 2 के कब्जे व खातेदारी की आराजी है। इसके साथ ही अपीलांटस् का आराजी खसरा नम्बर 472 दक्षिण तरफ को स्थित है और रेस्पोडेंटस् संख्या 1 व 2 का खसरा नं0 471 उत्तर तरफ स्थित है। अपीलांटस् को अपने कब्जे काश्त खातेदारी के हिस्से की आराजी खसरा नम्बर 492 में से 472 में आने के लिये व 472 से खसरा नम्बर 492 में जाने के लिये कोई रास्ता उपलब्ध नही था। जिस कारण अपीलांटस् के पिता श्री शम्भूदयाल ने रेस्पोडेंट्स संख्या 1 व 2 से रास्ते हेतु आराजी खसरा नम्बर 471 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा में से 2940 वर्गफुट भूमि रास्ते के लिये दिनांक 17.09.2015 को जरिये इकरारनामा से क्रय की थी। अपीलांटस् उक्त रास्ते से ही अपनी आराजी पर आते जाते है। रेस्पोडेंटस संख्या 1 व 2 द्वारा बदनियती पूर्वक धारा 111 व 128 का प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसमें इकरारनामा संबंधित सारे तथ्यो को छुपाते हुये पैमाईश कराने के आदेश खसरा नम्बर 443, 448, 471 की सम्पूर्ण भूमि के प्राप्त किये। रेस्पोडेंटस् संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढी में अपीलांटस को पक्षकार भी नही बनाया गया ना ही किसी प्रकार का नोटिस जारी किया गया। केवल मात्र सरकार को पक्षकार बनाते हुये अपीलाधीन आदेश प्राप्त किये। जबकि प्रकरण में अपीलांट्स प्रभावित एवं हितबद्ध खातेदार काश्तकार होने के कारण अपीलांटस् को आवश्यक पक्षकार के रूप में शामिल करते हुये उन्हे पूर्ण साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये निर्णय पारित करना चाहिये था । अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार का मौका देख बिना केवल मात्र पटवारी हल्का की पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 23.06.2016 के आधार पर पत्थरगढी के आदेश पारित कर दिये गये जो खिलाफ कानून है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलांटस् का कथन है कि प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे तथा विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अपीलांट् स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.2016 निरस्त फरमाया जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये मुख्य रूप से कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.2016 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत है एवं अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

8. मैंने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम प्रकरण के गुणावगुण व तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाती है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के पत्थरगढी कराने के संबंध मे विवाद है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 01 एवं 02 के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 443, 448, 471 ग्राम उजोली तहसील कोटकासिम जिला अलवर की पत्थरगढी कराने बाबत

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर विवादित आराजी खसरा नम्बर 443, 448, 471 की मौके पर पुनः सीमाज्ञान कराया जाकर पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार कोटकासिम को आदेश दिये गये ।

9. हम समझते है कि अपीलांटस् अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर द्वारा पारित प्रश्नगत अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10. 2016 से प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति हैं, जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार प्रभावित पक्षकारो को नोटिस जारी कर उन्हे सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित करना चाहिये था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस को बिना सुने व सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश एकतरफा तथा अपीलांटस् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्व है तथा बहाल रखे जाने योग्य नही है तथा अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटस् आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजीयात से प्रभावित पक्षकारो की सुनवाई कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

11. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

(बाबूलाल गोयल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जयपुर

12. निर्णय आज दिनांक 06.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाबूलाल गोयल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner